

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी-अमित कुमार पाण्डे

उच्चतर न्यायिक सेवा- UP06246

सत्र परीक्षण संख्या-699/2024

राज्य

बनाम

संजय आदि

दिनांक-14.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिंदु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा केस का खुलासा करते हुए यह तर्क रखा गया है कि अभियुक्त गण **संजय, फूलकली, राम स्वरूप** के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप बनता है। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का आरोप बनाया जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क का खंडन किया गया तथा यह तर्क रखा गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उन्हें उन्मोचित किया जाये।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि अभियुक्तगण **संजय, फूलकली, राम स्वरूप** के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप बनता है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण पर तदनुसार आरोप विरचित किया जाये।

अभियुक्तगण **संजय, फूलकली, राम स्वरूप** के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 28-08-2024 को पेश हो।

(अमित कुमार पाण्डे)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी-अमित कुमार पाण्डे

उच्चतर न्यायिक सेवा- UP06246

सत्र परीक्षण संख्या-699/2024

राज्य

बनाम

संजय आदि

आरोप

मैं, अमित कुमार पाण्डे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली आप अभियुक्तगण **संजय, फूलकली, राम स्वरूप** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम- यह कि वादी मुकदमा की लड़की राजकुमारी की शादी दिनांक 14.06.2020 को संजय पुत्र राम स्वरूप के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद से आप लोगों ने वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज में अपाचे मोटर साइकिल व पचास हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता** की धारा- 498A के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि दिनांक 28-09-2023 को समय- अदम तहरीरी आप अभियुक्तगणों ने अतिरिक्त दहेज में अपाचे मोटर साइकिल व पचास हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर वादी मुकदमा की पुत्री राजकुमारी को जबरन जहर खिलाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित किया गया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता** की धारा- 304B के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि आप अभियुक्तगणों ने वादी मुकदमा की पुत्री राज कुमारी से अतिरिक्त दहेज में अपाचे मोटर साइकिल व पचास हजार रुपये की मांग की। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध किया है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अधीन दंडनीय अपराध किया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान के अंतर्गत है।

एतद्द्वारा, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-14.08.2024

(अमित कुमार पाण्डे)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया, उसने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक-14.08.2024

(अमित कुमार पाण्डे)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।